प्रेस नोट संख्या 30

दिनांक- 12.07.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 416/2014 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुंशीगंज के अभियुक्त महेश कुमार पुत्र छोटेलाल कोरी नि0 मनीराम पाण्डेय का पुरवा जलामा थाना मुशीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-13 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 12.07.2024 को धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 रु0 अर्थदण्ड,धारा 363 भादवि मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-366 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा दिनांक-08.06.2014 समय 20:45 बजे तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त महेश कुमार पुत्र छोटेलाल कोरी नि0 मनीराम पाण्डेय का पुरवा जलामा थाना मुशीगंज जनपद अमेठी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0सं0 416/2014 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मुशीगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री उमापति दुबे द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-33/14 दिनांक 13.06.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।